न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला

अनुमति वाद संख्या– 75/2020-21

.... जागा उराँव .... आवेदक / आवेदिका

बनाम

.... बिलासी देवी .... विपक्षी

आदेश

आवेदक / आवेदिका / आवेदकगण श्री श्रीमति .... जागा उराँव .... पिता / पति श्री / स्व0 .... घाँसी उराँव .... ग्राम .... लरेया .... थाना .... सिसई .... जिला गुमला ने निम्नाकिंत विवरणी की भूमि बिकी करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एंव संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा (एकड़)
लरेया	सिसई/74	055	1659	0.54 ½ एकड़ में 0.09 एकड़

(कुल रकवा नौ डिसमील)

आवेदित भूमि को आवेदक / आवेदिका / आवेदकगण प्रस्तावित केता श्री श्रीमति............ बिलासी देवी .... पिता / पति श्री / स्व0............ बुधवा .... उराँव .... निवासी ग्राम............ कोंडेकेरा बिलहोर टोली .... थाना............ सिसई .... जिला गुमला को राशि रूपये 2,00,000/- (दो लाख रुपये) पर बिकी करने का तय किया है। आवेदक / आवेदिका / आवेदकगण को मकान बनाने / इलाज हेतु / हल बैल खरीदने / अन्य कार्य हेतु रूपये की आवश्यकता है, रूपये आने का अन्य कोई अन्य श्रोत नहीं रहने के कारण ही आवेदक / आवेदिका / आवेदकगण भूमि की बिकी कर रहे है। अंचलाधिकारी............ सिसई .... को भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की माँग की गई, एंव आम ईश्तेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी .... सिसई .... के कार्यालय के पत्रांक .... 558 .... दिनांक............ 14.8.2020 .... के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक / आवेदिका / आवेदकगण को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक / आवेदिका / आवेदकगण का

शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भमि की बिक्री के बाद भी आवेदक/~~आवेदिका/आवेदकगण~~ के पास प्रर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक/~~आवेदिका/आवेदकगण~~ का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक/~~आवेदिका/आवेदकगण~~ ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी/~~खरीदगी~~ एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा,एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत आते है, साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी ....सिसई.....के जाँच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक / आवेदिका / आवेदकगण श्री ~~श्रीमति~~.....जागा उराँव.....पिता/~~पति श्री~~/स्व0.....घाँसी .....उराँव.....निवासी ग्राम.....लकेया..... थाना.....सिसई.....जिला गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि रूपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतद् द्वारा .....अनुमति..... प्रदान की जाती है।

भूमि का पूर्ण विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एंव संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा (एकड़)
लकेया	सिसई/74	055	1659	0.54½ एकड़ में 0.09 एकड़

(कुल रकबा नौ डिसमील)

चौहदी - उत्तर- टांड़ धुधु उराँव वगैरह दक्षिण- कच्चा रास्ता
पूरब- खाली जमीन निज विक्रेता पश्चिम- खाली जमीन निज विक्रेता

लेखापित एवं संशोधित

[signature] 26/8/2000
भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता,
गुमला।

[signature] 26/8/2000
भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता,
गुमला।